तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3-12-25	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature] [stamp] अधिकारी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 137/2022 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 22.11.2022 श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

सीताराम आ0 छगना जाति मीणा निवासी ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

–वादी

बनाम

1. श्रीमती मोनू मीणा पुत्री श्री प्यारेलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डिया तहसील टोंक जिला टोंक, राज0।
2. नरेन्द्र सिंह राणावत आ0 नामालूम जाति राजपूत निवासी कोटा जिला कोटा, राज0।(डिलीट दिनांक 06.08.2024)
3. मुकुटबिहारी आ0 प्रभुलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देहीखेड़ा तहसील इन्दगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा काप्रेन तहसील के0पाटन जिला बून्दी, राज0।

–प्रतिवादी

वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन (अधिवक्ता वादी)

2 श्री विक्रम सिंह तंवर (प्रतिवादी संख्या 1,2)

3. एकपक्षीय कार्यवाही (प्रतिवादी सं 3)

निर्णय दिनांकः– 03.12.2024

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम झपायता पटवारा हल्का घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार खात संख्या नया 214 में अंकित भूमि ख0सं 254 रकबा 0.10है0, ख0सं0 255 रकबा 0.28है0, ख0सं0 280 रकबा 0.51है0, ख0सं0 282 रकबा 0.40है0, ख0सं0 312 रकबा 0.12है0, ख0सं0 313 रकबा 0.05है0, ख0सं0 314 रकबा 0.86है0, ख0सं0 315/1 रकवा 0.40है0, ख0सं0 316 रकबा 0.11है0, ख0सं0 317 रकबा 0.50है0, ख0सं0 318 रकबा 0.10है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.98है0 भूमि स्थित है जिसके राजस्व दस्तावेज में वादी एक मात्र खातेदार है। वाद विषयक आराजी का खातेदार होकर कृषिभूमि का उपयोग उपभोग निरन्तर करता चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि में सरसों की फसल बोने के लिए हकाई जुताई कर तैयार कर रखी है। भूमि प्रतिवादी सं 4 के रहन चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने एक गिरोह बना रखा है जो भूमि के खरीदने बेचने का व्यवसाय करते है। आवासीय एवं व्यवसायिक प्लाटों का खरीदने बेचने का व्यवसाय करते है। प्रतिवादी 1 लगायत 3 जबरन वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में प्लॉटिंग करके भूमि का स्वरूप बदलना चाहते है। उपरोक्त वर्णित आराजी मेघा हाईवे से लगवा होने से किमती भूमि है। वाद उपरोक्त आराजी पर लगातार काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ताकत के बल पर जबरन गिरोह बनाकर वादी को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है जिसका उनको कानूनन रूप से कोई हक प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि काश्तकारी योग्य है उपरोक्त आराजी काश्ताकरी से आवासीय अथवा व्यवसायिक रूप में परिवर्तित नहीं हुयी है। प्रतिवादी 1 लगायत 3 को जबरन ताकत के बल पर वादी को बेदखल कर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 दिनांक 20.11.2022 को उपरोक्त वाद विषयक आराजी पर आये और जबरन खेत का माप–चौक करने लगे तब वादी ने आने वालो से पूछा तो उन्होने कहा कि भूमि को हम आवासीय व व्यवसायिक स्वरूप देकर प्लॉटिग करगे तो वादी ने ऐतराज कर उक्त भूमि का काबिज होना बताया परन्तु प्रतिवादी 1 लगायत 3 तत्समय वादी को धमकी देकर गये कि भविष्य में हम तुम्हारे खेत में प्लॉटिंग कर भूखण्ड काटेंगे यदि तुम हमारे सामने आये तो तुम्हे जान से हाथ धोना पड़ेगा। वादी गरीब व्यक्ति है। कृषिभूमि की आय से ही अपने परिवार का गुजर बसर करता है। प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 ताकतवर व झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है, जो जबरन वादी को बेदखल करना चाहते है ऐसी परिस्थिति में वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी 1 लगायत 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न हो गया है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण 1 ता0 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये कि वे वादी को वाद विषयक आराजी से बेदखल नहीं करे तथा भूमि के उपयोग उपभोग में अवरोध उत्पन्न नहीं करें तथा भूमि के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद विषयक अराजी के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करे। वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। भूमि का स्वरूप परिवर्तन नहीं करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं 1 व 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उनके पेरोकार अनुपस्थि रहने से दिनांक 27.06.2023 को उनका जवाब बंद उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2024 को अन्तर्गत धारा 151 जा0दी का पेश कर निवेदन किया कि वादी प्रतिवादी सं 02 नरेन्द्र सिंह के विरूद्ध वाद में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहता है। प्रतिवादी सं 02 का नाम वाद पत्र से डिलिट किया जावे। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय वादी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी पत्र से प्रतिवादी सं 02 नरेन्द्र सिंह का नाम वाद पत्र से डिलिट किया जाकर अंकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

पत्रावली में वादी के साक्ष्य करावाये गये। वादी द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध कर दस्तावेज प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ग्राम झपायता खतौनी संख्या 214 प्रदर्श करवायी गयी। बहस से पूर्व वादी द्वारा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2079 से 2081 पेश की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी।

पत्रावली पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। बहस समाहत पत्रावली की गयी। दोराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र अंकित में तथ्यो का दोहराव करते हुए कथन किया कि वादी वाद विषयक आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। वादी का वाद विषयक आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी 1 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद विषयक अराजी के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करे। वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। भूमि का स्वरूप परिवर्तन नहीं करें।

हमने विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज प्रदर्श–1 वाद विषक आराजी की नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विषयक आराजी का वादी सीताराम पुत्र छगना जाति मीना एक मात्र खातेदार है प्रतिवादी सं 1 व 3 अजनबी व्यक्ति है जिसका वाद विषयक भूमि से कोई सरोकार नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद विषयक कृषिभूमि पर फसल बोयी जा रही है एवं वादी का कब्जा है। प्रतिवादी 1 व 3 द्वारा वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई विरोध नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 अजनबी व्यक्ति है जिसका वाद विषयक भूमि से कोई संबंध नहीं है उन्हें वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी वाद विषयक अराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके हक अधिकारों की सुरक्षा करना आवश्यक है। हमारे मत में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद विषयक आराजी खात संख्या नया 214 के ख0सं 254 रकबा 0.10है0, ख0सं0 255 रकबा 0.28है0, ख0सं0 280 रकबा 0.51है0, ख0सं0 282 रकबा 0.40है0, ख0सं0 312 रकबा 0.12है0, ख0सं0 313 रकबा 0.05है0, ख0सं0 314 रकबा 0.86है0, ख0सं0 315/1 रकबा 0.40है0, ख0सं0 316 रकबा 0.11है0, ख0सं0 317 रकबा 0.50है0, ख0सं0 318 रकबा 0.10है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.98है0 वाके ग्राम झपायता पटवारा हल्का घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 जर्ये स्थयी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त अराजी के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा कर वादी के कब्जे काश्त में दखलांदाजी नहीं करें एवं वादी को बेदखल नहीं करें ऐसा कृत्य न स्वयं न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

व इजलास.....श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस).....

मुकाम.....लाखेरी.....

सीताराम आ0 छगना जाति मीणा बनाम निवासी ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

—वादी

1. श्रीमती मोनू मीणा पुत्री श्री प्यारेलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डिया तहसील टोंक जिला टोंक, राज0।
2. नरेन्द्र सिंह राणावत आ0 नामालूम जाति राजपूत निवासी कोटा जिला कोटा, राज0।(डिलीट दिनांक 06.08.2024)
3. मुकुटबिहारी आ0 प्रभुलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देहीखेड़ा तहसील इन्दगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा काप्रेन तहसील के0पाटन जिला बून्दी, राज0।

—प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 137/दावा/2022

दावा बाबत 188 आर0टी0एक्ट

सन् .....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... हमारे.....व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन ..... मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद विषयक आराजी खात संख्या नया 214 के ख0सं 254 रकबा 0.10है0, ख0सं0 255 रकबा 0.28है0, ख0सं0 280 रकबा 0.51है0, ख0सं0 282 रकबा 0.40है0, ख0सं0 312 रकबा 0.12है0, ख0सं0 313 रकबा 0.05है0, ख0सं0 314 रकबा 0.86है0, ख0सं0 315/1 रकबा 0.40है0, ख0सं0 316 रकबा 0.11है0, ख0सं0 317 रकबा 0.50है0, ख0सं0 318 रकबा 0.10है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.98है0 वाके ग्राम झपायता पटवारा हल्का घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 जर्ये स्थयी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त अराजी के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा कर वादी के कब्जे काश्त में दखलांदाजी नहीं करें एवं वादी को बेदखल नहीं करें ऐसा कृत्य न स्वयं न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।